राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 5106/2021

मदन लाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.10.2021
आदेश की दिनांक : 07.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पर माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 30.07.1994 को हुई थी। प्रधानाचार्य के पदों की कमी के कारण अपीलार्थी को उनकी वेतनश्रृंखला में ही पाते वेतन में विभागीय पदोन्नति समिति ने चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक प्रधानाचार्य के पद पर आदेश दिनांक 04-08-2007 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया जा रहा था। बाद में अपीलार्थी की प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 06-05-2013 के द्वारा हुई और अपीलार्थी को वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर कार्य ग्रहण की दिनांक 08.08.2007 से ही कार्यरत है। ऐसे में दिनांक 08.08.2007 से ही अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद के अनुसार वेतन व पारिणामिक लाभ दिये जाये। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित

न्यायिक दृष्टांत डी.बी स्पेशल रिट याचिका संख्या 821/2019 बनाम राजस्थान राज्य लक्ष्मीनारायण सोनी में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 तथा दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट संख्या 6881/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 का अवलंब लिया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की पदोन्नति के लिए समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई और अपीलार्थी को पदोन्नति के पद पर अर्थात् प्रधानाचार्य के पद पर पातेय वेतन पर पदस्थापन किया गया। बाद में आदेश दिनांक 08.05.2013 से अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति दी गई, जो वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी को पीछे की दिनांक से पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी को 'equal pay for equal work' के सिद्धांत के आधार पर प्रधानाचार्य के पद के वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण डी.बी स्पेशल रिट याचिका संख्या 821/2019 बनाम राजस्थान राज्य लक्ष्मीनारायण सोनी में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः-

> 12. In the light of the above discussion, this Court is of the opinion that no exception can be taken to the learned Single Judge's directions given that all the petitioners were eligible at the time when they were given temporary appointment; they did not fulfill the description or fall within the exception of Rule 28(2) and most importantly all of them were eligible and could have been promoted with effect from the date, they were made to officiate temporarily as Principals. But for the fact that no DPC was held, all of them were subsequently selected through regularly constituted DPC. In these circumstances the denial of salary and all benefits to them from the date of their initial temporary appointment (having regard to their subsequent selection and appointment on regular basis against the vacancies for the earlier period), could not but be held to be arbitrary,
>
> 13. For the foregoing reasons, there is no merit in the appeal, it is accordingly dismissed.

5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एस.बी. सिविल रिट संख्या 6881/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः-

> Apex Court in a recent judgment, State of Punjab-Vs. Jagat Singh [(2017) 1 SCC 148], while extending benefit of equal pay for equal work to temporary employees, observed:
>
> "There is no room for any doubt, that the principle of equal pay for equal work' has emerged from an interpretations of different provisions of the Constitution. The principle has been expounded through a large number of judgments rendered by this Court, and

constitutes law declared by this Court. The same is binding on all the courts in India, Under Article 141 of the "Constitution of India. The parameters of the principle, have been summarized by us in paragraph 42 hereinabove. The principle of 'equal pay for equal work has also been extended to temporary employees (differently described as work- charge, daily-wage, casual, ad-hoc, contractual, and the like). The legal position, relating to temporary employees, has been summarized by us, in paragraph 44 hereinabove. The above legal position which has been repeatedly declared, is being reiterated by us, yet again.

In our considered view, it is fallacious to determine artificial parameters to deny fruits of labour. An employee engaged for the same work, cannot be paid less than another, who performs the same duties and responsibilities. Certainly not, in a welfare state. Such an action besides being demeaning, strikes at the very foundation of human dignity. Any one, who is compelled to work at a lesser wage, does not do so voluntarily. He does so, to provide food and shelter to his family, at the cost of his self respect and dignity, at the cost of his self worth, and at the cost of his integrity. For he knows, that his dependents would suffer immensely, if he does not accept the lesser wage. Any act, of paying less wages, as compared to others similarly situate, constitutes an act of exploitative enslavement, emerging out of a domineering position. Undoubtedly, the action is oppressive, suppressive and coercive, as it compels involuntary subjugation."

In view of foregoing discussion, all these writ petitions are allowed and the respondents are directed to allow the petitioners; Champalal Vyas, (2) Laxmi Narayan Soni, and (3) Gopaldas Soni, pay scale of the promotional post from the date they are performing duties of Principal, i.e., 30.11.2009, 20.09.2010, and 23.102009 respectively, with ali other consequential benefits including the benefit of pay fixation. The requisite exercise of pay fixation and allowing other benefits be undertaken by the respondents within a period of three months from today and accordingly arrears be paid to the petitioners.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में बखूबी लागू होते है। अपीलार्थी को नियमित रूप से पदोन्नति समय पर डीपीसी आयोजित नहीं होने के कारण नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर स्थापित किया गया। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद का वेतन प्रधनाचार्य के पद का कार्यग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद के समान ही वेतन व पारिणामिक लाभ दिनांक 08.08.2007 से प्रदान किये जावें। इस आदेश की पालना 3 माह में हो।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)